संख्या-892/सत्तर-2-2011-16(246)/2010

प्रेषक,

अवनीश कमार अवस्थी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक :29 मार्च, 2011

विषय अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना।

महोदय,

शिक्षण कार्य के सुगम संचालन हेतु राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शासनादेश संख्या-467/सत्तर-2-98-3(19)/93टी0सी0, दिनांक 07 अप्रैल, 1998 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन मानदेय देकर अध्यापन कार्य लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासन की संज्ञान में आया है कि महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर अपने स्तर से विहित शर्तों से इतर मानदेय शिक्षक के रूप में नियुक्तियां कर ली जा रही हैं और जब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विधिवत् चयनित शिक्षक उपलब्ध होते हैं तो उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है। ऐसी कार्यवाही से जहां एक ओर नियमों का उल्लंघन होता है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मा0 न्यायालय में याचिकायें योजित हो जाती हैं।

2- अतः उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति विषयक उक्त शासनादेश दिनांक 7.4.98 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3- उक्त व्यवस्था समाप्त होने के उपरान्त उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति होने तक शिक्षण कार्य के सुगम संचालन हेतु व्यवस्था पृथक से जारी की जायेगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पत्रांक –कु0स0–सम्बद्धता/1331 /शिक्षक रिक्त पद /2011 दिनांक– 14 मई, 2011

प्रतिलिपि–

1. माननीय कुलपति जी – सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त अनुदानित महाविद्यालय, सम्बद्ध– महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय के साथ कि उक्त शासनादेश का अनूपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय के साथ कि पत्र को सूचनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।

14.05.11

(आई0 पी0 झा)
कुलसचिव